

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं० एम० ०७/२०१६ दिनांक ०९/०७/२०१६

धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष— डोमनी मुण्डाईन पति कोंगे मुण्डा ग्राम बानपुर।


बनाम

द्वितीय पक्ष— जगरनाथ मुण्डा पिता नामाकुल मुण्डा ग्राम पारही बगैरह।

वाद की कार्यवाही आवेदिका डोमनी मुण्डाईन पति कोंगे मुण्डा ग्राम बानपुर थाना कामडारा के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कि जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष के (१) जगरनाथ मुण्डा पिता नामाकुल मुण्डा (२) सुकरो मुण्डाईन पति जगरनाथ मुण्डा दोनो ग्राम पारही थाना कामडारा के द्वारा आवेदिका के भूमि मौजा बानपुर, खाता सं० ३० प्लॉट सं० ५६४ रकबा २.६३ एकड़ एवं प्लाट सं० ५ रकबा ०.४१ एकड़ को जबरदस्ती ट्रेक्टर से जोत दिये हैं, मना करने पर प्रतिवादी मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसे प्रथम पक्ष डरे हुए हैं एवं जान माल कि नुकसान की सम्भावना है। आवेदन के अवलोकन के पश्चात विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर ६० दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, कामडारा से विवादित भूमि के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम पक्ष के मौजा बानपुर थाना सं० ९६ खाता सं० ३० प्लॉट सं० ५ रकबा ०.४१ एकड़ प्लॉट सं० ५६४ रकबा २.६३ एकड़ कुल रकबा ३.०४ एकड़ भूमि प्रथम पक्ष के खतियानी जमीन है जो प्रथम पक्ष को दादाजी स्व० छनदुआ मुण्डा के नाम से खतियान में दर्ज है। वंशवली निम्न है।



सुकरो मुण्डाईन की माता सुमली मुण्डाईन थी जिसका विवाह नगडी में हुआ था सुमली मुण्डाईन एवं उसका पति के संबंध से नगडी में सुकरो का जन्म हुआ था। सुमली मुण्डाईन जो सुकरो की माता थी


*Handwritten signature and stamp:*  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (मुमला)

सुकरो के जन्म के बाद में डेबरा मुण्डा ने लघेर रखा था। विनिया मुण्डा के पुत्र नहीं होने के कारण कोंगे मुण्डा को घर दमाद रखा गया था। सुकरो का विवाह जगरनाथ मुण्डा के साथ हुआ है तथा दोनो ग्राम पारही थाना कामडारा में साथ रहते आ रहे हैं। इस तरह से आदिवासी परम्परा के अनुसार यदि कोई भी लड़की का शादी होने पर मायके के सम्पत्ती में हिस्सा के अधिकारी नहीं होते हैं उपरोक्त जमीन खतियानी जमीन है इसलिए द्वितीय पक्ष को जमीन पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं बनता है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

- (1) दाखिल खारिज की छाया प्रति।
- (2) लगान रसीद की छाया प्रति।
- (3) उक्त विवादित भूमि का खतियान।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल किये हैं कि मौजा बानपुर थाना सं० 96 खाता सं० 30 प्लॉट सं० 5 रकबा 0.41 एकड़ प्लॉट सं० 564 रकबा 2.63 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान हिन्दुवा मुण्डा पिता शनिया मुण्डा के नाम से दर्ज है। यह कि खतियानी रैयत की बंशावली निम्नलिखित है। वंशावली निम्न प्रकार है।



यह कि सुकरो मुण्डाईन अपने पिता डेबरा पिता डेबरा मुण्डा के साथ रहती थी और जीवन भर उसका देख भाल की और अपने पिता अन्तिम संस्कार सुकरो मुण्डाईन और जगरनाथ मुण्डा ने की है, विवादित भूमि हिन्दुवा मुण्डा के नाम से खतियान में दर्ज है जिसके क्रमशः दो पुत्र विनिया मुण्डा और डेवरा मुण्डा थें। विनिया मुण्डा के एक मात्र पुत्री डोमनी मुण्डाईन और डेवरा मुण्डा की भी एकमात्र पुत्री सुकरो मुण्डाईन द्वितीय पक्ष है। द्वितीय पक्ष सुकरो मुण्डाईन पट्टा बंटवारा सं० 560/82 दिनांक 26/02/82 को प्राप्त किया है तदनुसार दाखिल खारिज वाद सं० 25 R 27/2010-11 दिनांक 22/10/2011 को दाखिल खारिज हुआ है और द्वितीय पक्ष तब से शांतिपूर्वक दखलकार होकर सरकार को सरकारी लगान दे रहे हैं और इस वर्ष में उक्त जमीन पर खेती किये हैं। प्रथम पक्ष के सदस्य का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार हकीयत और कब्जा नहीं है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

- (1) दाखिल खारिज की छाया प्रति।
- (2) लगान रसीद की छाया प्रति।
- (3) उक्त विवादित भूमि का खतियान।



अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदन:-


अंचल अधिकारी, कामडारा के पत्रांक 300/रा० दिनांक 17/08/2016 के द्वारा उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदित प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बानपुर थाना सं० 96 खाता

10/09/16  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बंसिया (गुमला)

सं० 30 प्लॉट सं० 5 रकबा 0.41 एकड़ प्लॉट सं० 564 रकबा 2.63 एकड़ भूमि हीन्दुवा मुण्डा बल्द सनिका मुण्डा कौम मुण्डा साकिन देह के नाम से दर्ज है।

मौजा बानपुर थाना सं० 96 खाता सं० 30 प्लॉट सं० 5 रकबा 0.41 एकड़ प्लॉट सं० 564 रकबा 2.63 एकड़ भूमि की जमाबंदी उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाद सं० 351/89-90 दिनांक 11/01/90 के अनुसार डुमनी मुण्डाईन पिता बिनयया मुण्डा के नाम से कायम की गई है जिसका अद्यतन लगान रसीद 2011-12 तक निर्गत हुआ है। विषयगत भूमि की जमाबंदी पंजी II के खाता सं० 30 प्लॉट सं० 5 एवं 564 रकबा क्रमशः 20 1/2 एवं 1.31 1/2 भूमि की जमाबंदी नामांतरण वाद सं० 125 R 27/10-11 द्वारा श्रीमति सुकरो मुण्डाईन पति जगरनाथ मुण्डा के नाम से कायम की गई है।

स्थानीय जाँच के अनुसार डोमनी मुण्डाईन घर जमीन की ब्रिकी नहीं की गई है सुकरो मुण्डाईन एवं डोमनी मुण्डाईन आपस में चचेरी बहन है। सुकरो मुण्डाईन को डोबरा मुण्डा गोद लिया है। वंशवली निम्न प्रकार है।



उभय पक्षों द्वारा दाखिल जवाब, कागजातो बहस एवं अंचल अधिकारी कामडारा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि मौजा बानपुर थाना सं० 96 खाता सं० 30 प्लॉट सं० 5 रकबा 0.41 एकड़ प्लॉट सं० 564 रकबा 2.63 एकड़ भूमि है। सुकरो मुण्डाईन खतियानी भूमि के आधे रकबा पर नामान्तरण वाद सं० 125R /10-11 द्वारा कायम की गयी है यह जमाबंदी डोबरा मुण्डा द्वारा केवाला के माध्यम से सुकरो मुण्डाईन को प्राप्त है। इस भूमि पर वर्तमान में भी द्वितीय पक्ष दखलकार है। जबकि प्रथम पक्ष द्वारा पूरी खतियानी भूमि की जमाबंदी प्रथम पक्षकार के नाम कायम है जो गलत प्रतीत होती है। स्थानीय जाँच के अनुसार प्रथम पक्षकार खतियानी भूमि के आधे भाग पर ही दखलकार है।

अतः वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के हित में स्थिर करते हुए द्वितीय पक्ष के हित आदेश पारित किया जाता है।

16/09/16  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (गुमला)



16/09/16  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (गुमला)  
बसिया